न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 689/2023
अनवान : –

1. ब्रहमदत पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. तुलछाराम पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर. ।
3. हीरा राम शर्मा पुत्र देवीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
4. जोतराम पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।

– वादीगण

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र चानणराम जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
2. सुमन पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
3. निर्मला देवी पुत्री देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 16/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 209/187 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 13.3584 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात By Birth Right हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण का पिता है तथा व्योवृद्ध व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा भावलदेसर खाता संख्या 209/187, प्रमाणित प्रतिलिपी नामान्तरकरण संख्या 294 रोही मौजा भावलदेसर, सरपंच ग्राम पंचायत धानसिया द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतगदी के बाद वादी के पिता देवीलाल कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:33 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 209/187 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 13.3584 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत धानसिया द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 209/187 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 13.3584 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 689/2023
अनवान : –

1. ब्रहमदत पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. तुलछाराम पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर. ।
3. हीरा राम शर्मा पुत्र देवीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
4. जोतराम पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।

– वादीगण

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र चानणराम जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
2. सुमन पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
3. निर्मला देवी पुत्री देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 689 सन 2023 निर्णय दिनांक 16/10/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 209/187 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 13.3584 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:33 IST
Reason: SelfAttested